<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

<u>दांडिक प्रकरण क :- 242 / 12</u> संस्थापन दिनांक:-29 / 05 / 12 फाईलिंग नं. 233504000492012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... अभियोजन

वि रू द्व

गोलू पिता साहबलाल मेहरा उम्र 27 वर्ष, निवासी जीराढाना, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 21.02.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 338 भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 16.05.2012 को शाम 04:00 बजे तोरनवाड़ा डेम के पास आम रास्ता थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत मोटर सायिकल क. एम. पी.—48—एम.डी.—3682 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर फरियादी सुबेर की मोटर सायिकल को टक्कर मारकर उसे गिराकर घोर उपहित कारित की तथा उक्त वाहन को आपने बिना लायसेंस एवं बिना बीमे के चलाया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 16.05. 2012 को करीब 4 बजे अपने गांव से अपने रूम आमला जा रहा था। तभी तोरनवाड़ा डेम के पास आमला तरफ से मोटर सायिकल पेशन प्रो क. एमपी—48—एमडी—3682 का चालक गोलू अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाता आया और उसकी मोटर सायिकल को टक्कर मार दी जिससे वह गिर गया और उसे दांहिने पैर व दोनों हाथ में चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में मोटर सायिकल पेशन प्रो क. एमपी—48—एमडी—3682 के चालक गोलू के विरुद्ध अपराध क. 172/12 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया।

अभियुक्त से मोटर सायकिल पेशन प्रो क. एमपी—48—एमडी—3682 को मय रिजस्ट्रेशन के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आहत की एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर पाये जाने से एवं अभियुक्त के पास लायसेंस एवं वाहन का बीमा न होने से अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 5/180, 146/196 का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त प्रेमसिंह द्वारा अपराध स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप उसके संबंध में दिनांक 15.02.2018 को निर्णय पृथक से पारित किया जा चुका है। यह निर्णय केवल अभियुक्त गोलू के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान मोटर सायिकल क. एम.पी.—48—एम.डी.—3682 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर फरियादी सुबेर की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर उसे गिराकर घोर उपहति कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमे के चलाया ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

6 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 7 सुबेर यादव (अ.सा.—3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि मोटर सायकिल से टक्कर लगने के कारण उसका दांहिना पैर फैक्चर हो गया था और बांयी कलाई के पास भी फैक्चर हो गया था। गणेश (अ.सा.—5) एवं कोमल (अ.सा.—6) ने भी मुख्य परीक्षण में बताया है कि जब वे मौके पर पहुंचे था तब उन्होंने देखा था कि फरियादी सुबेर का दांहिना पैर फैक्चर हो गया है।
- 8 दिनेश सोनी (अ०सा०—7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वह सीएचसी आमला में कम्पांउडर के पद पर पदस्थ है। उसने डाँ० रोहित के साथ कार्य किया है और वह उनके हस्ताक्षरों से भली भांति परिचित है। दिनांक 16.05.12 को डाँ० रोहित के द्वारा आहत सुबेर का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें आहत के दांहिने पैर पर 5 गुणा 3 से०मी आकार पर दर्द एवं सूजन, दांहिनी अग्रभुजा पर 2 गुणा 1 से०मी० भाग पर अब्रेजन एवं बायी अग्रभुजा पर 4 गुणा 3 से०मी० भाग पर दर्द एवं सूजन पायी थी। साक्षी ने डाँ० रोहित के द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पी—7) पर डाँक्टर रोहित के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 9 डॉ. ओ.पी. (अ.सा.—1) ने दिनांक 27.05.2012 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को डॉ0 आर पद्माकर के द्वारा पुरूष सर्जीकल वार्ड से आहत सुबेर को दांयी पिंडली तथा बांयी अग्र भुजा और हाथ के एक्सरे के लिए भेजा जाना प्रकट करते हुए आहत की एक्सरे प्लेट कं0 4728 में पिंडली के एक्सरे में दांयी फिबुला हड्डी के उपरी तिहाई हिस्से में अस्थि भंग था साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श पी—1) को प्रमाणित किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी, दिनेश सोनी (अ.सा.—7), साक्षी सुबेर (अ.सा.—3), गणेश (अ.सा.—5) एवं कोमल (अ.सा.—6) के कथनों से फरियादी/आहत सुबेर को दुर्घटना में चोट आने के तथ्य की संपृष्टि होती है।
- 10 लख्खू साहू (अ.सा.—7) ने दिनांक 16.05.2012 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को प्रकरण की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर ख्यालीराम की निशादेही पर मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) एवं दिनांक 28.05.2012 को मोटर सायकिल फैशन प्रो क. एमपी—48—एमडी—3682 को जप्त कर (प्रदर्श पी—5) का जप्ती पत्रक तैयार तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी—6) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।
- 11 विजय (अ.सा.—8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसकी तहसील कार्यालय आमला के सामने मोटर सायकल सुधारने की

गैरिज है एवं उसे वाहन चलाने एवं सुधारने का 10 वर्ष का अनुभव है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने दिनांक 28.12.2012 को वाहन कं0 एम पी 48 एमडी 3682 का परीक्षण किया गया था जिसमें वाहन का ब्रेक, क्लच, लाइट, हॉर्न सभी को ठीक हालत में पाया था साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी—8) को प्रमाणित किया है।

- 12 प्रकरण में बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादी के कथनों में विरोधाभास है। फरियादी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है और किसी स्वतंत्र साक्षी से घटना का समर्थन नहीं होता है जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होना है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- वचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में ख्यालीराम (अ.सा.—2) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है एवं प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वयं के समक्ष कोई दुर्घटना न होना बताया है। शंकर (अ.सा.—9) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमडी—3682 जप्त की थी। उसके जप्ती पत्रक एवं गिरफ्तारी पत्रक पर हस्ताक्षर हैं परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके समक्ष कोई घटना नहीं हुई थी। हस्ताक्षर किस बात के लिये गये थे उसे जानकारी नहीं है। प्रेमसिंह (अ.सा.—10) ने यह बताया है कि उसके गाड़ी लेकर गया था जिससे एक्सीडेंट हो गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी।
- 14 साक्षी गणेश (अ.सा.—5) एवं कोमल (अ.सा.—6) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी सुबेर का फोन आने पर वे दोनों साथ में घटना स्थल में पहुंचे थे। मौके पर सुबेर बैठा हुआ था। उसका दांहिना पैर फैक्चर हो गया था। फरियादी सुबेर ने बताया था कि अभियुक्त गोलू ने वाहन को लापरवाही से चलाया और टक्कर मार दिया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने यह बताया है कि उन्होंने मोटर सायकिल का नंबर एमपी—48—एमडी—3682 बताया था। प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षीगण ने यह बताया है कि वे घटना के समय मौके पर नहीं थे। उन्होंने घटना घटित होते नहीं देखी थी। वाहन कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण एवं साक्षी ख्यालीराम (अ.सा.—2), शंकर (अ.सा.—9), प्रेमसिंह (अ.सा.—10) से अभियोजन का इस संबंध में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है कि इ

ाटना के समय अभियुक्त ने मोटर सायकिल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी को टक्कर मार दिया था।

- 15 अभिलेख पर मात्र फरियादी सुबेर की साक्ष्य उपलब्ध है, जो कि घटना में आहत होकर घटना का सर्वोत्तम साक्षी है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई. आर. 2011 एस.सी. 2552 उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं।
- सुबेर यादव (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह घटना के समय मोटर सायकिल से आमला की ओर जा रहा था। तभी सामने से एक मोटर सायकिल तेजी से आयी। उसने अपनी मोटर सायकिल नीचे कर ली परंत् सामने वाली मोटर सायकिल ने उसे टक्कर मार दिया था। गाड़ी अभियुक्त गोलू चला रहा था, उसकी गलती से ही एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसने फोन कर अपने चाचा गणेश को सूचना दी। फिर वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि अभियुक्त गोलू और उसके साथ घटना स्थल पर ही 7-8 फिट नाली पर गिर गये हैं। घटना के बाद अभियुक्त गोलू और उसके साथियों को लेकर आये थे। उसने घटना की रिपोर्ट थाना आमला में किया था जो प्रदर्श पी-4 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि दोनों गाडियों की आमने सामने की टक्कर हुई थी। वह अपनी साईड से आमला की ओर आ रहा था। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त उसकी साईड से जा रहा था। स्वतः कहा कि अभियुक्त उसकी साईड से आ रहा था। अभियुक्त को वह पहले से नहीं जानता था और न ही उसका नाम उसे पहले से पता है। रिपोर्ट लिखाते समय उसने वाहन चालक लिखाया था उसका नाम नहीं लिखाया था। रिपोर्ट लिखाने से पहले उसे अभियुक्त का नाम नहीं मालूम था। घटना स्थल घुमावदार रास्ता था।
- 17 साक्षी सुबेर (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में यह बताया है कि गाड़ी में बैठे तीन लोगों में से कौन गाड़ी चला रहा था, वह नहीं बता सकता। घटना स्थल पर सुहल की बातचीत हुई थी। अभियुक्त ने कहा था कि वह गाड़ी ठीक करा देगा। थाने पर आकर जब अभियुक्तगण ने उसके विरूद्ध एक्सीडेंट की शिकायत की तब उसने भी अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस में रिपोर्ट की। यदि अभियुक्त उसकी रिपोर्ट नहीं करता। यदि उससे यह नहीं कहा जाता कि उसकी गलती से दुर्घटना हुई है तो वह भी अभियुक्त के विरूद्ध दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं करता। बचाव अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिये जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते

समय यह बता दिया था कि उसने मोटर सायकिल पटरी से नीचे कर दी थी परंतु सामने वाली गाड़ी तेज थी और उसने टक्कर मार दी थी। यदि उपर्युक्त बातें रिपोर्ट और कथन में न हो तो वह कारण नहीं बता सकता। उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि अभियुक्त गोलू गाड़ी को चला रहा था और उसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ था। इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्तगण को भी चोटें आयी थी और पुलिस ने उसके विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध किया था।

प्रकरण में फरियादी सुबेर यादव (अ.सा.-3) अपने कथनों पर स्थिर 18 नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि सामने से आ रही मोटर सायकिल में तीन लोग बैठे हुए थे और वह नहीं बता सकता कि मोटर सायकिल अभियुक्त गोलू ही चला रहा था। उसने पुलिस को भी नहीं बताया था कि अभियुक्त गोलू मोटर सायकिल चला रहा था। साक्षी ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि यदि अभियुक्तगण के द्वारा उसके विरूद्ध शिकायत नहीं की जाती तो वह भी रिपोर्ट नहीं करता। घटना स्थल घुमावदार रास्ता होना फरियादी ने बताया है। नक्शा मौका (प्रदर्श पी-2) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि फरियादी ने रोड के नीचे गाड़ी उतार ली हो और अभियुक्त ने अपनी साईड से हटकर फरियादी की साईड पर आकर सामने से टक्कर मारी हो। घटना स्थल नक्शा मौका अनुसार रोड के बीचोबीच का प्रकट हो रहा है। फरियादी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त गोलू के ही द्वारा मोटर सायकिल कमांक एम.पी.–48–एम.डी.–3682 को चलाया गया एवं साथ ही अभिलेख पर उपर्युक्त वाहन उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त गोलू के द्वारा वाहन क. एम.पी.—48—एम.डी.—3682 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं फरियादी की मोटर सायकिल में टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की।

19 प्रकरण में अभियुक्त से वाहन की जप्ती दिनांक 28.05.2012 को की गयी है। जबिक घटना दिनांक 16.05.2012 की है। अभियुक्त से लगभग 12 दिवस के पश्चात वाहन की जप्ती की जाने से निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि घटना के समय तथा कथित वाहन क. एम.पी.—48—एम.डी.—3682 अभियुक्त गोलू के द्वारा बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया गया।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

20 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायिकल क. एम.पी.—48—एम.डी.—3682 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर फरियादी सुबेर की मोटर सायिकल को

टक्कर मारकर उसे गिराकर घोर उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को आपने बिना लायसेंस एवं बिना बीमे के चलाया। फलतः अभियुक्त गोलू को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशूदा मोटर सायकिल क. एम.पी.-48-एम.डी. -3682 मय जप्तशुदा दस्तावेज के सुपुर्ददार प्रेमसिंह पिता गंजनसिंह निवासी ठानी तहसील आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित। तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)